

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (पी-222) अलेसे-1/

दिनांक:- 7-4-2015

आदेश संख्या: 01 / 2015-16

श्री पारसमल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय- कोषालय झालावाड जिनकी जन्मतिथि 15.07.1956 (लिंग नं.-530) व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 27.08.1984 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 14.02.15 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (3) के तहत नोटिस अवधि में शिथिलता का अनुरोध करते हुए दिनांक 08.04.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है। अतः राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (3) के अन्तर्गत नोटिस अवधि में शिथिलता देते हुए श्री पारसमल जैन की दिनांक 08.04.2015 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पारसमल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।

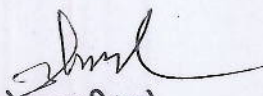

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-143) अलेसे-1/23-28

दिनांक:- 7-4-2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
2. कोषाधिकारी झालावाड ।
3. श्री पारसमल जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय कोषालय झालावाड ।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(कै.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)